क्रम संख्या–52 (ख) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 मार्च, 2016 ई0

चैत्र 10, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 102/XXXVI(3)/2016/56(1)/2016

देहरादून, 30 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन माननीय राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015"** पर दिनांक 15 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2016)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए :–

अधिनियम

भारत के गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2015 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित नियत करें।

धारा 2 में संशोधन

2\. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (14) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

(14) "**लिखत**–'लिखत' के अन्तर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और रिट्रीवल डिवाइस या मीडिया में या उसके द्वारा सृष्ट या अनुरक्षित प्रत्येक दस्तावेज और अभिलेख भी है, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अन्तरित, सीमित विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है,"

(ख) खण्ड (14) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

(14–क) **'दान की लिखत'**–'दान की लिखत' के अन्तर्गत कोई मौखिक दान देने या स्वीकार करने के लिए कोई लिखत भी है, चाहे वह घोषणा के रूप में हो या अन्यथा हो,"

(ग) खण्ड (22) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

(22–क) "**लोक अधिकारी**'–'लोक अधिकारी' से सिविल प्रक्रिया

संहिता, 1908 की धारा 2 के खण्ड (17) में यथापरिभाषित लोक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संगठनों में से किसी के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी भी है;
अर्थात् :–

(एक) उत्तराखण्ड राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित कोई कानूनी निकाय या प्राधिकरण;

(दो) उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (ह) में यथापरिभाषित कोई 'वित्त पोषक बैंक' या 'केन्द्रीय बैंक'।"

धारा 10 में संशोधन

3. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 10 (क) के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी;
अर्थात् :–

धारा 10 (ख) "शुल्क अदायगी के विविध माध्यम" :– धारा 10 वं 10 (क) में कुछ भी होने के बावजूद सम्पूर्ण शुल्क जो किसी विलेख पर प्रभार्य है, राजकीय कोषागार या उपकोषागार या सामान्य स्टाम्प कार्यालय [या जैसा भी मामला हो, राजकीय लेखा प्राप्ति प्रणाली G.R.A.S (Virtual Treasury)] में;

(1) नकद द्वारा, या
(2) डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, या
(3) पे आर्डर द्वारा, या
(4) ई–पेमन्ट द्वारा

अदा किया जायेगा और ऐसी अदायगी ऐसे विलेख पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन कर इंगित किया जायेगा।

धारा 29 में संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 29 में,–

(क) खण्ड (क) में शब्द और अंक "(क्रमांक 40–(बन्धक विलेख)", के पश्चात् शब्द और अंक "क्रमांक 43 में (टिप्पणी या ज्ञापन)" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

(च–च) दान की किसी लिखत की दशा में आदाता द्वारा,"

धारा 31 में संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1), में शब्द 'ऐसी रकम की (जो पांच रुपये से अनधिक और पचास पैसे से कम न हो), फीस अदा करे, जैसा कलक्टर हर एक मामले में निर्दिष्ट करे।'' के स्थान पर शब्द ''ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय,'' फीस अदा करें, रख दिये जायेंगे।

धारा 40 में संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 40 में उपधारा (1), के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

(1–क) कलक्टर यह अपेक्षा भी करेगा, कि उपधारा (1), के खण्ड (ख) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाय;

परन्तु यह कि यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की रकम की पुनः संगणना की जायेगी;

(1–ख) उपधारा (1–क) के अधीन देय ब्याज की रकम, देय रकम में जोड़ दी जायेगी और उसे, सभी प्रयोजनों के लिए दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा;

(1–ग) जहाँ स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहां उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो;

(1–घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी

या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायगा।''

धारा 42 में संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 42 में,:–

(क) शीर्षक में, शब्द और अंक ''धारा 35, 40 या 41'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा 35, 40, 41 या 47–का'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में शब्द और अंक ''धारा 40 या धारा 41'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा 40, धारा 41 या धारा 47–क'' रख दिये जायेंगे।

धारा 47–क में संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 47–क में,:–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी; अर्थात्:–

''(1) (क) यदि किसी लिखत, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, की विषयवस्तु ऐसी सम्पत्ति की उक्त लिखत में उल्लिखित बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम बाजार मूल्य से कम हो, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी लिखत प्रस्तुत करने के ठीक पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे स्वीकार करने और उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पहले, धारा 29 के अधीन स्टाम्प शुल्क देने के लिए दायी व्यक्ति से उक्त नियमावली के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य के आधार पर यथासंगणित स्टाम्प शुल्क की कमी को देने की अपेक्षा करेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 23 के अनुसार पुनः प्रस्तुत करने के लिए लिखत को वापस लौटा देगा;

(ख) जब खण्ड (क), के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी को किसी लिखत के सम्बन्ध में दे दिया जाता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा, कि उसके सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की कमी को दे दिया गया है और

अदा करने वाले व्यक्ति के नाम और आवास को सत्यापित करके उसे रजिस्ट्रीकृत करेगा;

(ग) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, स्टाम्प शुल्क की कमी को यथाविहित घोषणा के साथ छापित स्टाम्प के रूप में खण्ड (क) के अधीन अदा किया जा सकता है;

(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश को प्राप्त करने के पश्चात् स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी नहीं करता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत करता है, तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए उसे कलक्टर को अभिदिष्ट करेगा।"

(ख) उपधारा (3) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा; अर्थात :—

"**स्पष्टीकरण**— उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी कलक्टर को उपधारा (3) के अधीन किसी लिखत पर कार्यवाही प्रारम्भ करने से नहीं रोकेगी।"

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी; अर्थात् :—

"**(4—क)** कलक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (4) के खण्ड (दो) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाय;

परन्तु यह कि यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के अधीन या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज के रकम की पुनः संगणना की जायगी।

(4—ख) उपधारा (4—क) के अधीन देय ब्याज की रकम देय रकम में जोड़ दी जायगी और उसे सभी प्रयोजनों के लिए, दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा।

(4–ग) जहां स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहां उपधारा (4–क) में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो।

(4–घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा।"

धारा 56 में संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 56 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी; अर्थात् :–

(1–क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, अध्याय–चार, अध्याय–पांच के अधीन या धारा 26 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कलक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, राजस्व परिषद् के समक्ष अपील कर सकेगा, जो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे, पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा;

परन्तु स्टाम्प शुल्क की किसी विवादग्रस्त रकम की, जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज या शास्ति भी है, वसूली के रोक के लिए किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक ऐसी विवाद–ग्रस्त रकम के एक तिहाई से अन्यून भाग की अदायगी का सन्तोषजनक प्रमाण न प्रस्तुत कर दे;

परन्तु यह और कि जहाँ अध्यक्ष, राजस्व परिषद् किसी स्टाम्प शुल्क, उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली के स्थगन के लिए या

किसी ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिए कोई आदेश पारित करता हो और ऐसे आदेश के फलस्वरूप किसी स्टाम्प शुल्क उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली स्थगित कर दी जाय, वहाँ ऐसा स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि अपीलार्थी बकाया रकम की अदायगी के लिए सम्बन्धित कलक्टर के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति न प्रस्तुत कर दे।"

धारा 62 में संशोधन

10\. मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में शब्द "प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्मानें से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्मानें से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा"।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 102/XXXVI(3)/2016/56(1)/2016
Dated Dehradun, March 30, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the President is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2015'** (Adhiniyam Sankhya 01 of 2016).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the President on 15 March, 2016.